



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126394

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23453 वर्ष 2026

श्रीमती रेखा देवी और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंकित कुमार सिंह, रितेश सिंह, सुरेश सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या-1 अर्थात् श्रीमती रेखा देवी की जन्म तिथि 1.1.2003 है, आधार कार्ड की प्रति रिट याचिका के साथ अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। आधार कार्ड के अनुसार, जो अनुलग्नक-3 के रूप में रिट याचिका के साथ संलग्न है, याचिकाकर्ता संख्या-2 की जन्म तिथि 10.7.2006 है। रिट याचिका के प्रस्तर-10 में कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता शादीशुदा हैं और उनकी शादी 30.4.2026 को ग्राम लैब्ड, लबर, पोस्ट कादरगंज, जिला कासगंज में स्थित एक मंदिर में संपन्न हुई है। यह आगे कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता शांति से रह रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अवैध रूप से प्रतिपक्षी संख्या-4 परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें परेशान कर रहे हैं।



याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे वयस्क हैं और अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उक्त कारण से, प्रतिपक्षी संख्या-4 और परिवार के सदस्य नाराज हो गए हैं और याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहा है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिपक्षी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें खत्म कर सकता है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिपक्षी को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में यह कानून तय किया है कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो उनके साथ रहने में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि उनके माता-पिता को भी नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के इन मामलों के फैसलों का हवाला दिया जा सकता है: **ज्ञान देवी बनाम सुपरिटेण्डेंट, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; और भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396;** जिनका सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने लगातार पालन किया है, साथ ही इस न्यायालय के **दीपिका और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534** मामले के फैसले का भी। ज्ञान देवी (ऊपर बताए गए) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि जो भी हो, तथ्य यह है कि वह वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु की है।

चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विधिसम्मत रूप से सुई ज्यूरिस (सक्षम) है, इसलिए उस व्यक्ति की उसकी पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है



जिसके साथ उसे रहना है, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए। अदालत या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या वरीयता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।”

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ **पुलिस अधीक्षक, बदायूं** से संपर्क करेंगे। संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

निजी प्रतिपक्षी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि अभिलेखों पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़ंत या जाली हैं, तो इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करना उसके लिए खुला होगा।

याचिकाकर्ताओं ने तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराने का वचन दिया है।

यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा सके हैं, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा स्वचालित रूप से निरस्त हो जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के कथित विवाह पर निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से उनकी शादी की वैधता के बारे में राय व्यक्त नहीं करता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को आंशिक रूप से **अनुमति** दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)

9 जून 2026

के जे